



Neutral Citation No.- 2026:AHC:10608

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-38962 वर्ष 2024

प्रशांत आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: बाल कृष्ण यादव, राय साहब यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री राय साहब यादव, राज्य के अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री सुनील कुमार की सहायता से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संजीव सिंह को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-302 वर्ष 2023 में धारा 324, 302/34 भ०द०वि०, थाना-मिलक, ज़िला: रामपुर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, 28.10.2023 को दोपहर लगभग 1.00 बजे, आवेदक ने सह-आरोपी व्यक्ति के साथ मिलकर सूचना की मां की हत्या की और उसके बाद उसके चाचा (फूफा) पर भी हमला किया और उसे घायल कर दिया।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि प्राथमिकी में तीन घंटे की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आवेदक का उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। वह 30.10.2023 से जेल में हैं और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. तत्सम विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि अ०सा०-1 की जांच की गई है और आवेदक घटना में मुख्य हमलावरों में से एक है क्योंकि उसने दो व्यक्तियों पर हमला किया था और उन्हें चोटें पहुंचाई थीं, जिनमें से एक ने मौके पर लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, इस प्रकार, वह ज़मानत का हकदार नहीं है।

7. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और प्राथमिकी के त्वरित होने और आवेदक के मुख्य हमलावरों में से एक होने के नाते, चूंकि चोटों के कारण एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, इसलिए मुझे लगता है कि यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

8. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 16, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)